

फॉर्म नंबर सीए-2

[कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) के अनुसार]
माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ 2 के समक्ष
कंपनी आवेदन सीए (सीए) संख्या 43/एनडी/2023
निम्नलिखित के समामेलन की योजना के मामले में:

प्रॉम्प्ट स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कंपनी 1/अन्तरक कंपनी 1'), फैंसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कंपनी 2/अन्तरक कंपनी 2'), प्रॉम्प्ट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कंपनी 3/अन्तरिकी कंपनी') और उनके साथ संबंधित शेयरधारक और लेनदार।

प्रॉम्प्ट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, अन्तरिकी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों की सूचना की सूचना और विज्ञापन

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि 2 अगस्त, 2023 ('आदेश') के एक आदेश के अनुसार, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ-V ('एनसीएलटी') ने प्रॉम्प्ट स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, फैंसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और प्रॉम्प्ट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना ('योजना') में सन्निहित ठहराव पर विचार करने, और यदि उचित समझा जाता है, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अन्तरिकी कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की अलग-अलग बैठकें ('बैठक') आयोजित करने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुसार में और जैसा कि उसमें निर्देशित किया गया है, एक और सूचना दी जाती है कि अन्तरिकी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की भौतिक बैठकें नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार समय और स्थान पर आयोजित की जाएंगी, जिसमें इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत ऋणदाताओं से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया जाता है:

सं.	कम्पनी का नाम	बैठक का प्रकार	समय	बैठक की तिथि	बैठक का स्थान
1.	प्रॉम्प्ट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी शेयरधारक	1.00 बजे अप.	22.09.2023	द सूवो (क्रिस्टल बैंकटर्स), न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025, निकट मेट्रो स्टेशन सुखदेव विहार (मैनेजा लाइन)
		प्रतिभूत लेनदार	3.00 बजे अप.		
		अप्रतिभूत लेनदार	4.30 बजे अप.		

समामेलन की उक्त योजना की प्रतियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, वी-3/7, 1^{वीं} मंजिल, यमुना विहार, दिल्ली, 110053 या श्री यन्नी सहगल आवेदक कंपनियों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के कार्यालय, 302, तीसरी मंजिल, गणपति अपार्टमेंट, विजय विहार, सेक्टर -30, गुरुग्राम, हरियाणा, 122001 से, या sehgal@bsaadvisory.in पर एक ईमेल भेजकर इन बैठकों की तारीख तक से सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के कामकाजी घंटों के दौरान और सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) से 2:00 बजे अप. (भा.मा.स.) तक निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। संबंधित बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के हकदार व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं, यशर्त कि उपरोक्त बैठकों के लिए निर्धारित समय से 48 (अड़तालीस) अधिकतम घंटे पहले निर्धारित फॉर्म में सभी प्रॉक्सी, विधिवत हस्ताक्षरित, वी-3/7, प्रथम तल, यमुना विहार, दिल्ली, 110053 पर अन्तरिकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किए जाएं। प्रॉक्सी का फॉर्म क्रमशः शेयरधारकों और लेनदारों को भेजा जाएगा और इसे अन्तरिकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

समामेलन योजना और व्याख्यात्मक विवरण के साथ बैठकों की सूचना उन इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत ऋणदाताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनकी ईमेल-आईडी अन्तरिकी कंपनी के साथ पंजीकृत/उपलब्ध है और उन इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदार और अप्रतिभूत लेनदार जिनकी ई-मेल आईडी अन्तरिकी कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है, उनके पास स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जा रही है। इसे अन्तरिकी कंपनी की वेबसाइट www.pstl.gov.in पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

माननीय एनसीएलटी ने अन्तरिकी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक के लिए अधोहस्ताक्षरों की अध्यक्ष और श्री अनिपेक वर्मा, अधिवक्ता की वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री सचिन खुराना, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। समामेलन की उपर्युक्त योजना, यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित हो जाती है, तो माननीय न्यायाधिकरण की मंजूरी के अधीन होगी।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के आदेश दिनांक 2 अगस्त, 2023 द्वारा।

हस्ता/-

दिनांक: 21.08.2023

जेके दादू आईएस (सेवानिवृत्त)

स्थान: नई दिल्ली

बैठक के लिए अध्यक्ष नियुक्त

पंजीकृत कार्यालय: वी-3/7, पहली मंजिल, यमुना विहार, दिल्ली, 110053